न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–130 / 2026

(सिकन्दरा थाना कांड संख्या 161 / 2024 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

दिनेश कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

आदेश

10.04.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **1. दिनेश कुमार** पिता काली ठाकुर उर्फ कालीचरण ठाकुर, उम्र 25 वर्ष, **2. चन्दन कुमार** पिता अनिल ठाकुर उम्र 20 वर्ष दोनों साकिनान खारडीह, थाना सिकन्दरा, जिला जमुई के द्वारा सिकन्दरा थाना कांड संख्या 161 / 2024 में धारा 379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार ठाकुर तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि सूचक का काला रंग का प्लसर मोटरसाईकिल, जिसका नम्बर बी0आर046जे01415, चेचिस नंबर ND2A11CY7KRF26422 सूचक के पुत्र विमल कुमार के नाम से है। सूचक दिनांक 01.05.2024 समय 01:30 बजे मोटरसाईकिल हरि शर्मा मार्केट कोमल रेडिमेड के सामने, लखीसराय रोड, सिकन्दरा के सामने खड़ा करके सामान खरीदने के लिए मार्केट के अन्दर गये, सामान खरीदने के बाद आने पर वहाँ पर सूचक का मोटरसाईकिल नहीं था। सूचक ने अपने स्तर से बहुत खोजा लेकिन मोटरसाईकिल का पता नहीं चला।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदक की ओर से पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर यह अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदकगण द्वारा वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर इससे पहले इस अदालत के समक्ष या पटना उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अन्य जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदकगण बौघाट थाना कांड संख्या 19 / 2024 में धारा 379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियुक्त है, इस वाद को छोड़कर अन्य कोई वाद आवेदकगण के विरूद्ध लंबित नहीं है। यह कि आवेदकगण को 35(3) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। आवेदकगण का नाम इस वाद में केस डायरी के पैरा 33 में सुजीत कुमार के स्वीकारोक्ति ब्यान से आया है। आवेदकगण के भौतिक कब्जे से कोई भी सामग्री जब्त नहीं की गई है। आवेदकगण को इस झूठे वाद में गलत तरीके से आशंका के आधार पर फंसाया गया है। आवेदकगण उक्त घटना के समय अपनी जीविकोपार्जन हेतु तमिलनाडु राज्य में थे। आवेदकगण माननीय न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। आवेदकगण का नाम प्राथमिकी में सह अभियुक्त सुजीत कुमार द्वारा वाद दैनिकी के पैरा 33 में पुलिस के समक्ष दिये गये संस्वीकृत ब्यान के आधार पर आया है। आवेदकगण के पास से न तो चोरी की गई मोटर साईकिल बरामद की गई है और न ही अन्य कोई आपत्तिजनक बस्तु आवेदक तथा आवेदकगण के कब्जे से जब्त किया गया है। पुलिस के समक्ष दिये गये संस्वीकृति बयान के अतिरिक्त अभी तक पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान में आवेदक के विरूद्ध अन्य कोई

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–130 / 2026

(सिकन्दरा थाना कांड संख्या 161 / 2024 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

दिनेश कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

–लगातार–

10.04.2026

तथ्य या साक्ष्य प्रथम दृष्टया अभिलेख पर या वाद दैनिकी में उपलब्ध नहीं है। आवेदकगण को धारा 35(2) बी0एन0एस0एस0 को नोटिस नहीं दिया गया हैं जबकि आरोपित धाराओं में सजा की अवधि 03 वर्ष से कम है तथा इसी प्रकार के मामले में आवेदकगण को **Baughat P.S. Case No. 19/24** में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा द्वारा ए0बी0पी0 नं0 307 / 2024 में दिनांक 04.07.2024 के आदेश से अग्रिम जमानत प्रदान किया गया है। उपरोक्त विवेचना एवं इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त कराना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवेदकगण द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार कर प्रस्तुत किये जाने पर तथा 10 हजार रूपये के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं धारा 482(2) बी0एन0एस0 के शर्तों के पालन करने पर आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई

मेमो सं0..... दिनांक–.....

प्रति अग्रसारित–श्री मिनराल आर्यन, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम् श्रेणी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई